Title: Regarding adequate compensation to people of Gram Panchayats in Sanjay Gandhi Rashtriya Udyan in Sidhi Parliamentary Constituency facing displacement from their habitat

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत मझिगवा,भदौरा व रूंदा जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा विस्थापित है,इनके विस्थापन के प्रक्रिया की शुरुआत 21 फरवरी 2008 को तत्कालीन केंद्र सरकार के बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत जारी आदेश से हुई एवं 13 अप्रैल, 2017 को विस्थापन की घोषणा हुई । किन्तु उचित मुआवजा राशि न मिलने के कारण ग्रामीणजन विस्थापित होने को तैयार नही है, उनका कहना है कि वर्षों से उन्होने इस गाव मे बहुत कुछ बनाया है ,पेड़, वृक्ष ,घर आदि परंतु इस राशि से कही जमीन भी नही खरीदी जा सकती । शासन की कुछ योजनाओं का लाभ ग्रामवासियों को मिल रहा है परंतु केंद्र सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रधानमंत्री आवास योजना व सौभाग्य योजना का लाभ नही मिल पा रहा है, ये तीनों पंचायते आज भी विद्युत विहीन है । प्रधानमंत्री आवास तो गरीबो के लिए वरदान साबित हो रही है किन्तु इन योजनाओं से विस्थापित पंचायतों के निवासी वंचित है ! मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त विस्थापित ग्राम पंचायतों मे पुनः मूल्यांकन कराकर उचित मुआवजा राशि दिलाने की कृपा करें ।